

राशमी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
(राशमी)

2. प्रार्थी श्री माधवलाल पुत्र हरलाल जाट नि 10 भोपालाई को संतनाई।

1. तहसीलदार, राशमी को भुकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

प्रतिलिपि :-

क्रमांक: सट्टेता/5-11 (226) 2023

दिनांक :-

06/06/23

(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
(राशमी)



1.	भोपालाई	95,96,97,	माधु पुत्र हरलाल	माधवलाल पुत्र हरलाल
क्र.सं.	सौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रतिस् (अर्द्ध प्रतिस्)	आदेश (अर्द्ध प्रतिस् जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)

किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्रार्थी के "खाला इजस्ती" प्रथम पत्र एवं पत्राक्षी, पत्रवार हल्का पार्ली, अं अभिलेख निरीक्षक वृत्त भोपालाई की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशेषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में सौजा भोपालाई तहसील राशमी व जिला तिर्वाड़ा की जमाबन्दी समस्त 2076-77 में खाला संख्या 95,96,97 में वर्तमान में दर्ज प्रतिस् को निम्नलिखित रूप से अर्द्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्रसंग :- 226 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के संज्ञा
अभिधान-2023

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कार्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

राजस्थान सरकार

